अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध/द्वारा फैक्स/ई–मेल

(896)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

संख्याः18–220–2015(सेवाभिलेख) दिनांकःअप्रैल 06 ,2015

सेवा में,

1–अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना/सी0बी0 सीआईडी/जीआरपी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
3–अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय/फायर सर्विस मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ।
4–अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5–अपर पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्ल्यू0, ए0सी0ओ0, उ0प्र0 लखनऊ।
6–अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर/मुरादाबाद
7–अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर।
8–अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
9–अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय/मानवाधिकार, उ0प्र0 लखनऊ।
10–अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच/रूल्स एवं मैनुअल, उ0प्र0 लखनऊ।
11–पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ।
12–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
13–पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी जोन्स, उत्तर प्रदेश।
14–निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, रेडियो मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
15–पुलिस महानिरीक्षक, पावर कारपोरेशन लि0, (सतर्कता अधिष्ठान) उ0प्र0, लखनऊ।
16–पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0/एस0आई0टी0/सहकारिता प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
17–पुलिस महानिरीक्षक, आर0टी0सी0 चुनार, मिर्जापुर।
18–पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र (एफएसटीसी) उन्नाव।
19–पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0एस0, गोरखपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद।
20–पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0सी0 उन्नाव।
21–समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/पी0ए0सी0 सेक्टर, उत्तर प्रदेश।
22–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ।
23–समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
24–समस्त सेनानायक, पी0ए0सी0/विशेष सुरक्षा वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
25–पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
26–पुलिस अधीक्षक, दस्यु उन्मूलन अभियान, कानपुर।
27–पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय शस्त्र भण्डार सीतापुर।
28–राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
29–पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद एवं आगरा।
30–शिविरपाल/अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय पुलिस वस्त्र भण्डार, कानपुर।

विषयः लिपिक संवर्ग के कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु उनके चरित्र पंजिकाओं/सेवा अभिलेखों को अद्यावधिक कराया जाना।

———

कृपया मिनिस्टीरियल संवर्ग के कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में उनकी चरित्र पंजिकाओं/सेवा अभिलेखों को अद्यावधिक करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र संख्याःडीजी–परिपत्र–49/2013, दिनांकः 29.8.2013 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कार्यवाहियॉ कराकर पूर्ण करा ली जायः–

(1)गोपनीय वार्षिक मन्तब्य–

(क) कर्मियों के सेवा अभिलेखों सम्पूर्ण सेवा काल के वार्षिक मन्यब्यों की प्रविष्टि करना।

(ख) कर्मियों के प्रतिकूल मन्तब्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय, तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस संबंध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुये इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

(ग) कर्मियों के वार्षिक मन्तब्यों के कतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दिशा में सामान्य होने की मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा मान्य नहीं है। अतः इस प्रकार सामान्य की मोहर लगाकर चरित्र पंजिका नहीं प्रेषित किया जाय।

(घ) कर्मियों के वार्षिक मन्तब्य न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्याः36/8/1976–कार्मिक–2, दिनांकः 30.04.1991 के अनुसार ब्लैंक की मोहर लगाकर वार्षिक मन्तब्य प्रेषित किये जाते हैं। 02 वर्ष से अधिक वर्षो में ब्लैंक की मोहर लगाकर प्रेषित करना मान्य नहीं होगा। अतः 02 वर्षो से ज्यादा में ब्लैंक की मोहर न लगायी जाय।

(ड.) यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मन्तब्य न लिखा जा पा रहा हो तो उस वर्ष के संबंध में निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना चरित्र पंजिका में अंकित किया जायः–

(1) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मी की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण–पत्र। इस संबंध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त वर्षो में यह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा विरत अथवा गैरहाजिर तो नहीं रहे हैं।

(2) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य, सत्यनिष्ठा, निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हों तो उनका विवरण जिस घटना के संबंध में दण्ड मिला हो तो उस घटना का दिनांक। जैसे–किसी कर्मी को 2005 की घटना के लिये 2008 में दण्ड मिला हो तो दोनों दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाय कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष 2008 में दण्ड मिला है।

(3) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मी के विरूद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमें की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है (क्या वह विवेचनाधीन है, क्या अंतिम रिपोर्ट लगी है? क्या इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर मा0 न्यायालय में विचाराधीन है? या विचारण होकर ट्रायल पर आया है, अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गयी है) स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त कर चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

(2)सत्यनिष्ठा–

यदि किसी लिपिक/आशुलिपिक की सत्यनिष्ठा रोके जाने की कार्यवाही की जा रही हो तो नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय। यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। इस संबंध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश निर्गत किया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुये इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

(3)दण्ड, अपील एवं रिवीजन–

यदि किसी लिपिक/आशुलिपिक को 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत दण्ड प्रदान किया गया हो अथवा दिये गये दण्ड को अपील या रिवीजन विचाराधीन हो या पारित निर्णय से विलोपित अथवा स्थगनादेश पारित किया गया हो तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित होना चाहिये।

(4)निलम्बन–

लिपिक/आशुलिपिक के निलम्बन व उनके निस्तारण का स्पष्ट उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जाये। कई लिपिकों/आशुलिपिकों को उनके विरूद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने के कारण निलम्बित किया जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित अभियोग की अद्यावधिक सूचना चरित्र पंजिका में अवश्य अंकित कर दिया जाय।

(5)डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार करना–

यदि किसी लिपिक/आशुलिपिक की चरित्र पंजिका खो गयी हो तो डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार कराकर सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तब्य, दीर्घ, लघु, अथवा छुद्र दण्डों सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरन्तरता को अद्यावधिक करा लिया जाय।

5– यहॉ स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किसी भी लिपिक/आशुलिपिक की **चरित्र पंजिकायें/सेवा अभिलेख अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रोन्नति प्रकिया बाधित होती है। अतः आपसे** अनुरोध है कि कृपया आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों/ वाहिनियों में नियुक्त समस्त लिपिकों/आशुलिपिकों की **चरित्र पंजिकाओं/सेवा अभिलेखों में समस्त सूचनायें सावधानीपूर्वक दिनांकः 15.04.2015 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा ली जाय।**

6– **यह भी अनुरोध है कि** उपरोक्त कार्यवाही दिनांकः 15.04.2015 तक पूर्ण कराने के उपरान्त समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों/इकाईयों यथा–परिक्षेत्र, सेक्टर, जनपद, इकाई, वाहिनी आदि से **दिनांकः 16.04.2015** को इस आशय का **प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें** कि उनके कार्यालय में नियुक्त **समस्त लिपिकों/आशुलिपिकों की चरित्र पंजिकाओं/सेवा अभिलेखों को अद्यावधिक कर** लिया गया है और **उसमें अब कोई त्रुटि नहीं** है। साथ ही **नामिनल रोल आन लाइन डाटा बेस प्रणाली में भी सभी प्रविष्टियॉ फीड कर** दी गयी हैं।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांकः वही

प्रतिलिपि–पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से भी सर्वसंबंधित को आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

2– **प्रतिलिपि** प्रभारी आई0टी0 सेल, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषितहै कि वे कृपया उक्त सूची को पुलिस के वेबसाइट uppolice.nic.in पर Upload करते हुये समस्त संबंधित को उनके ई–मेल पर भी भेजकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

3– **प्रतिलिपि** प्रभारी फैक्स, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त पत्र को समस्त संबंधित को भेजकर अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।